लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के विधवा महिला को आर्थिक सहायता पहुचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400/- रू० प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

3. देय राशि

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400/- रू० प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

4. पात्रता

बी0पी0एल परिवार अथवा जिसकी वार्षिक आय 60000/- से कम हो एवं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वैसी विधवा महिला इस योजना के तहत आच्छादित होगी।

5. प्रक्रिया

इस योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जॉच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।